



# कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248005

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/19/2024-25/331

दिनांक: 28 अप्रैल 2025

## उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 276 बैकलॉग पदों के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/19/2024-25/173, दिनांक: 27 फरवरी, 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 276 बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी।

**02—** कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक— उ०चि०से०च०बो०/परी०/19/2024-25/307, दिनांक— 19 अप्रैल 2025 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की स्कूटनी के पश्चात् कतिपय अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने या अर्हता धारित करने या श्रेणी—उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने या वैध न होने के कारण या वांछित अभिलेख ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराने के कारण अनर्ह घोषित कर दिया गया था। ऐसे अनर्ह अभ्यर्थियों को अपनी अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन पुष्ट साक्ष्य सहित दिनांक 22 अप्रैल 2025 (सांय 05:00 बजे) तक बोर्ड कार्यालय में ई-मेल आई०डी० ukmssbexam@gmail.com पर अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया था।

**04—** अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं वांछित अभिलेखों पर बोर्ड द्वारा सम्यक् विचार किया गया। विचारोपरान्त ऐसे अभ्यर्थी, जिनके वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख पूर्ण पाये गये हैं, उन्हें अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु अर्ह सूची में सम्मिलित किया गया है तथा शेष अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के पुष्ट न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने/अपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने तथा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत न करने पर बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया है। ऐसे अनर्ह किये गये अभ्यर्थियों का विवरण तालिका संलग्न कर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक—यथोपरि।

ह०/—  
(प्रदीप जोशी),  
सचिव।

अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अंतिम निर्णय के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	अभ्युक्ति	अभ्युक्तियों पर बोर्ड द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय
1.	3020250059	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत में ओ0एल0 दिव्यांगता श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन में दिव्यांगता श्रेणी के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि “दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या— 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार ओ0एल0 दिव्यांगता श्रेणी को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा” अतः अभ्यर्थी को दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
2.	3020250068	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिव्यांगता श्रेणी से सम्बन्धित नहीं होने का उल्लेख किया गया है। चूंकि अभ्यर्थी दिव्यांगजन उपश्रेणी से सम्बन्धित नहीं है और अनारक्षित श्रेणी में मात्र दिव्यांगजनों हेतु पद आरक्षित है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
3.	3020250077	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ दिनांक 13 अप्रैल 2025 को उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण हेतु आवेदन की गई रसीद संलग्न की गई है जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त दिनांक 31 मार्च 2025 के उपरान्त का है जो कि मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
4.	3020250115	अभ्यर्थी द्वारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगता उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन में दिव्यांगता श्रेणी के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि “दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या— 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार ओ0एल0 दिव्यांगता श्रेणी को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा” अतः अभ्यर्थी को दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

**अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अंतिम निर्णय के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची**

5.	3020250140	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 05 नवम्बर, 2019) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैद्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
6.	3020250149	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिव्यांगता श्रेणी से सम्बन्धित नहीं होने का उल्लेख किया गया है। चूंकि अभ्यर्थी दिव्यांगजन उपश्रेणी से सम्बन्धित नहीं है और अनारक्षित श्रेणी में मात्र दिव्यांगजनों हेतु पद आरक्षित है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
7.	3020250173	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 08 अप्रैल, 2016) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैद्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15-एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
8.	3020250259	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 28 अक्टूबर 2016) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैद्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

**अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अंतिम निर्णय के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची**

9.	3020250297	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 28 मार्च, 2025) की प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है आवेदन पत्र में अंकित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की <a href="https://eservices.uk.gov.in">https://eservices.uk.gov.in</a> वैबसाइट पर जांच करने पर भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तक जारी नहीं हुआ है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
10.	3020250323	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
11.	3020250330	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न किये गये स्थाई निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र किसी अन्य नाम से निर्ग किये गये प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अभ्यर्थी का दिल्ली मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 20 नवम्बर 2022 को समाप्त हो गई है। काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2025 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
12.	3020250351	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र उपायुक्त कार्यालय (जिला नई दिल्ली) दिल्ली द्वारा निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15-एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2025 के उपरान्त का निर्गत हुआ है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
13.	3020250358	अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है। अभ्यर्थी बी0एम0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अंतिम निर्णय के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

14.	3020250395	अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
15.	3020250444	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
16.	3020250497	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 08 नवम्बर 2017) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैद्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उन्हे अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा प्रश्नगत विज्ञापन में अनारक्षित श्रेणी में उत्तराखण्ड महिला हेतु पद उपलब्ध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
17.	3020250505	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 13 जनवरी 2020) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैद्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।



अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अंतिम निर्णय के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

22.	3020250647	अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
23.	3020250657	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिव्यांगता श्रेणी से सम्बन्धित नहीं होने का उल्लेख किया गया है। चूंकि अभ्यर्थी दिव्यांगजन उपश्रेणी से सम्बन्धित नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में मात्र दिव्यांगजनों हेतु पद आरक्षित है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
24.	3020250685	अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है। अभ्यर्थी बी0एम0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
25.	3020250704	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित अनुसूचित जाति श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
26.	3020250706	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 26 जून 2018) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिनांक 05 अप्रैल 2025 को निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के उपरान्त निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" अतः अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अंतिम निर्णय के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

27.	3020250717	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 03 सितम्बर 2018) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>	<p><b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिनांक 11 अप्रैल 2025 को निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के उपरान्त निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" अतः अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
28.	3020250736	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 27 मई 2015) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>	<p><b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
29.	3020250750	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।                  2. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिल्ली से जारी हुआ संलग्न किया गया है जबकि आवेदन पत्र में अल्मोड़ा जनपद से जारी किया हुआ उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15-एच में स्पष्ट उल्लेख है कि " अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। "                  3. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी में अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में पदक विजेता का उल्लेख किया गया है परन्तु उपश्रेणी का कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। प्रश्नगत पद लेवल-10 का है और विज्ञापन के नियम 15- एल में स्पष्ट उल्लेख है कि लेवल-10 के पद हेतु ओलम्पिक खेलों में पदक विजेता/प्रतिभागी को ही उक्त उपश्रेणी का लाभ दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।</p>	<p><b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>



**अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अंतिम निर्णय के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची**

30.	3020250757	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से जारी हुआ संलग्न किया गया है जबकि आवेदन पत्र में अल्मोड़ा जनपद से जारी किया हुआ उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15-एच में स्पष्ट उल्लेख है कि " अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।"	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
31.	3020250773	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 04 मई 2017) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
32.	3020250784	अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है। अभ्यर्थी बी0एम0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
33.	3020250788	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 18 सितम्बर 2021) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक निर्गत वैध अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।



अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अंतिम निर्णय के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

37.	3020250861	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
38.	3020250885	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
39.	3020250890	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 29 जून 2019) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैद्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिनांक 22 अप्रैल 2025 को निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के उपरान्त निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" अतः अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
40.	3020250970	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 08 दिसम्बर 2018) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैद्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	<b>अनर्ह</b> — अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।



अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर अंतिम निर्णय के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

45.	3020251096	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 20 जनवरी 2018) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>	<p><b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिनांक 22 अप्रैल 2025 को निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के उपरान्त निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" अतः अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
46.	3020251152	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 02 मार्च 2020) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>	<p><b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी भी माध्यम से उनकी अनर्हता के सम्बन्ध कोई कथन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>